



पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी
Taking a bite out of crime 24/7



एटीएम कार्ड बदलकर टगी करने वाले दो टग गिरफ्तार

उरई, संवाददाता। कोतवाली पुलिस और साइबर थाना पुलिस ने ऐसे दो शक्तिर बदमाशों को गिरफ्तार किया जो भोले भाले लोगों और बुजुर्गों को बेवकूफ बनाकर उनके एटीएम कार्ड बदलकर बैंक खाते से लाखों रुपये निकाल लेते थे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से अलग-अलग बैंकों के 10 एटीएम कार्ड और 71 हजार रुपये नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, उन बदमाशों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस अन्य साक्ष्यों को तलाश में जुटी है।

बीते दिनों उरई कोतवाली पुलिस और साइबर थाने में लोगों ने शिकायतें पत्र देते हुए अवगत कराया था कि उनके खाते से रुपये निकल गए हैं जबकि उनके पास एटीएम कार्ड मौजूद हैं। इस मामले को साइबर थाना पुलिस ने जांच की तो

पता चला कि जिन एटीएम का शिकायतकर्ता जिफ कर रहे हैं यह एटीएम बदले गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की। इस दौरान पुलिस ने कुन्दीद थाना क्षेत्र के हसनपुर के रहने वाले चौपी सिंह तथा सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मधुपुर मंडैया के रहने वाले मंगल सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने अलग-अलग बैंकों के 10 एटीएम कार्ड तथा 71 हजार रुपये बरामद किए हैं। जिनकी विभिन्न विभिन्न एटीएम कार्डों से निकले थे। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो पकड़े गए लोगों ने बताया कि यह एटीएम के बाहर खड़े रहते थे और भोले खाले लोगों और बुजुर्ग लोगों को मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदल देते थे। यह गिन नंबर लेने के बाद खातों से रुपये निकाल लेते थे। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया।

डेबिट कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने में दो को किया गिरफ्तार

साइबर सेल व कोतवाली पुलिस ने पकड़ा, एसपी ने किया खुलासा

संवाद मन्त्र एजेसी

उरई। मार के बहाने डेबिट कार्ड बदलकर लोगों से साथ धोखाधड़ी कर रुपये निकाल लेने वाले विरोध के दो जलसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना में मानले का सुलाय करतें हुए एएसडी अनीम चौधरी ने बताया कि लोगों के डेबिट कार्ड बदलकर रुपये निकाल लेने की घटनाओं की जानकारी मिले से मिल रही थी। 5 नवंबर को भी रात कोतवाली क्षेत्र के पटेल नारा निवास निविक कुमार श्रीवास्तव ने



पुलिस गिरफ्तार में छे अरोपी। मन्त्र

कोतवाली पुलिस को खरीर दे थी। उसने बताया कि जब यह एटीएम थूप से रुपये निकालने गए था पर कुछ गड़बड़ थी। सभी दो तुफक अर्ध और रिज कलरने को खा कहकर धोखाधड़ी से उसके 80 हजार रुपये खर कर दिए।

विजय पर कोतवाली पुलिस व साइबर थाना टीम को इसके लिए लक्ष्य मार था। रफ्तार को मुफ्त मिली कि दो तुफक बाइक के साथ छड़े हैं। पुलिस ने गैरबंदी कर कुटीर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी मोदी सिंह व सिमराकलार थाना क्षेत्र के मधुपुर मंडैया गांव निवासी मंगल सिंह को पकड़ लिया। जराती में उनके पास से दस डेबिट कार्ड, 17 हजार रुपये व एक बाइक बरामद हुईं हैं। बताया कि पकड़े गए जलसाज चौपी सिंह व मंगल के खिलाफ औरत व टगव में छह-छह धानले दर्ज हैं।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी



OPERATION CONVICTION

JHANSI / JALAUN / LALITPUR POLICE

मारपीट के मामले में आठ दोषियों को सजा

जासं, उरई : कोंच थाना क्षेत्र के मुहल्ला गांधी नगर में मारपीट के एक मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया।

वर्ष 2012 में मुहल्ला गांधी नगर में हुई मारपीट के मामले में सचिन शुक्ला, गोविंद शुक्ला, सीताशरण मिश्रा व बड़ेलल्ला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। सभी आरोपितों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की

कैद व आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस प्रकरण के दूसरे पक्ष ने भी मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें भी कोर्ट ने आरोपित अरुण कुमार, शिवा शुक्ला, छुट्टन चतुर्वेदी व प्रदीप कुमार दोषी करार दिया है। सभी को एक-एक साल की और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

मारपीट में चार को तीन साल की सजा



अदालत से

संवाद मन्त्र एजेसी

उरई। कोंच थाना क्षेत्र में करीब 13 साल पहले मारपीट के मामले में एपीडी जयराज अजयल लखनसिंह की कोर्ट में पार दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अठार-अठार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माने अंग व कारने पर दोषियों को तीन साल का अवैतनिक कारावास देना। जलसाज अरुणकुमार श्रीवास्तव को दो साल की सजा दी। 17 नवंबर 2011 को मारपीट के मामले में दो धारों में विवाद हो गया था। कोदंड सिधु सुलाय व पुलिस को दो जलसर में बताया था कि उसके घर निर्माण पत्र हटा था। जिसकी सजाती सजने एक धार्मिक स्थल के पश्चुरे पर रखी थी। इसका पता पुरने वाले सचिन शुक्ला, गोविंद शुक्ला, सीताशरण मिश्रा, बड़े लल्ला व विरोध किया। इस पर यह सहायन टगवने के लिए लगी हो ग। सीकान सिर अरुपिणी

13 साल पहले छक्कुरे पर सामान रखने को लेकर हो मारा था इमग्रा

ने लगी टगवे के साथ उमर पर हाथाम कर रिज। इस दौरान उनके रिज अजय सुलाय चौधर कलार को उमर था और उनके रिज पर लगी लख गई। उनके रिजने पर उनको लख सुधी से मारा ग। उनका हाथी के एक अरुपलख में हाथाम पार और एक धारीने के बाद जराती मीज हो गई। इस मामले में पुलिस ने जांच की। इसने जराती मारपीट की धार को धारी करार और लगी टगवने से रिज पर कपी कोट आने के धारने धारने को सभुसिधु रूप से मारपीट करार को धार में रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके बाद 2012 में धारपीट स्थिति हुई। धारने मीज को सजा उमर लगी को लगी धारा लख। धोखार को रिजने अरुपलखको की रिज, बड़े लल्ला व विरोध किया। इस पर यह सहायन टगवने के लिए लगी हो ग। सीकान सिर अरुपिणी को सजा सुनाई।